

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 268]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 अगस्त 2023—भाद्र 7, शक 1945

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2023

फा. क्र. 1(A)-2023-3-निर्वा.नामा.-6840.—भारत निर्वाचन आयोग की निम्नलिखित अधिसूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है :-

1. सं. 23-MP-2023-24-SSR-WS-1, दिनांक 29 अगस्त 2023
2. No. 23-MP-2023-24-SSR-WS-1, Dated 29th August, 2023

राजेश कुमार कौल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त 2023—7 भाद्रपद, 1945 (शक)

अधिसूचना

सं. 23-MP-2023-24-SSR-WS-1.—यतः, निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र सं. 23/2023-ERS-(Vol. II), दिनांक 24 मई, 2023 के जरिए 01 अक्टूबर 2023 की अर्हक तिथि के संदर्भ में मध्यप्रदेश राज्य में निर्वाचक नामावलियों के विशेष सार पुनरीक्षण के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी थी; और

यतः, एकीकृत प्रारूप नामावली यथा-निर्धारित 2 अगस्त, 2023 को प्रकाशित की गई थी; और

यतः, दावे और आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि 2 अगस्त, 2023 से 31 अगस्त, 2023 तक नियत की गयी थी; और

यतः, निर्वाचन आयोग ने मध्यप्रदेश राज्य में सम्प्रति जारी निर्वाचक नामावलियों के विशेष सार पुनरीक्षण के कार्य की समीक्षा की है; और

यतः, प्रदेश में दावे और आपत्तियों की अवधि के विस्तार हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्यप्रदेश से अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

यतः, प्रदेश में सम्प्रति जारी पुनरीक्षण गतिविधियों की समीक्षा करने के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्यप्रदेश के अनुरोध पर विचार करते हुए निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है कि दावे और आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि 11 सितम्बर, 2023 (सोमवार) तक बढ़ा दी जानी चाहिए;

अब, इसलिए, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960, के नियम 12 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग द्वारा 1 अक्टूबर 2023 की अर्हक तिथि के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों के चल रहे विशेष सार पुनरीक्षण के लिए मध्यप्रदेश राज्य में दावे और आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि 11 सितम्बर, 2023 (सोमवार) को सम्मिलित करते हुए एतद्द्वारा इस तारीख तक बढ़ाई जाती है।

आदेश से,

हस्ता./-

(अमित कुमार)

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 29th August, 2023—7 Bhadra, 1945 (Saka)

NOTIFICATION

No. 23-MP-2023-24-SSR-WS-I.—WHEREAS, the Election Commission had announced the schedule for Special Summary Revision of electoral rolls in the State of Madhya Pradesh with reference to 1st October 2023 as the qualifying date *vide* its letter No. 23-2023-ERS-(Vol.-II) dated 24th May, 2023; and

WHEREAS, the publication of integrated draft electoral roll was done on 2nd August, 2023 as scheduled; and

WHEREAS, the period of filing claims and objections was fixed from 2nd August, 2023 to 31st August, 2023; and

WHEREAS, the Election Commission has reviewed the ongoing exercise of Special Summary Revision of Electoral Rolls in the State; and

WHEREAS, the request to extend the period of claims and objections in the State has been received from CEO, Madhya Pradesh; and

WHEREAS, the Election Commission having considered the request of CEO, Madhya Pradesh and, while reviewing the ongoing revision activities in the State, has decided that the period of filing claims and objections in the State should be extended upto and including 11th September, 2023 (Monday);

NOW, THEREFORE, the Election Commission, in exercise of the powers conferred by the proviso to Rule 12 of the Registration of Electors Rules, 1960, hereby extends the period for filing claims and objections in the State of Madhya Pradesh upto and including 11th September, 2023 (Monday) for ongoing Special Summary Revision of Electoral Rolls with reference to 1st October 2023 as the qualifying date.

By order,

Sd./-

(AMIT KUMAR)

Secretary,

Election Commission of India.